

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 126 /2021


दिनांक : 07.08.2021

श्रीमती मधु शर्मा (RJ1035), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-03, उदयपुर को दिनांक 16.08.2021 से 27.08.2021 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 14.08.2021 से 15.08.2021 एवं 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती ज्योति पुरी (RJ0971), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-04, उदयपुर को श्रीमती मधु शर्मा के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-03, उदयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती ज्योति पुरी (RJ0971), जिनको विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-03, उदयपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/23/2016/5095

दिनांक 07.08.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 225 दिनांक 28.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मधु शर्मा (RJ1035), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-03, उदयपुर।
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-03, उदयपुर।
5. श्रीमती ज्योति पुरी (RJ0971), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-04, उदयपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट.) प्रकरण कम-04, उदयपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार